श्री माधोसिंह पपोला, ग्राम–पपोली, तहसील–दुगनाकुरी, जिला–बागेश्वर द्वारा ग्राम–गुलमपरगढ़, तहसील–कपकोट, बागेश्वर में प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 22.08.2019 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

श्री माधोसिंह पपोला द्वारा ग्राम–गुलमपरगढ़, तहसील–कपकोट, बागेश्वर में 15000 टन प्रतिवर्ष सोप स्टोन खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन के अनुक्रम में दिनांक 22.08.2019 को प्रातः 11:00 बजे से सरयू होटल के निकट, तहसील कपकोट, जिला बागेश्वर में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 यथासंशोधित के अनुसार इस प्रकार के उद्योग पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की अपेक्षा रखने वाले उद्योगो की श्रेणी में आच्छादित हैं। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन के क्रम में लोक सुनवाई आयोजित किये जाने का प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्राप्त हुआ था। इसी अनुक्रम में राज्य बोर्ड द्वारा जनसुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण के दिनांक–09.07.2019 तथा हिन्दुस्तान टाईम्स के दिनांक–10.07.2019 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये गये, परियोजना से सम्बन्धित ई0आई0ए0 रिपोर्ट व सारांश अभिलेख जनसामान्य के अवलोकनार्थ जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी।

इसी अनुक्रम में दिनांक 22.08.2019 को अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया। जिसमें उप जिलाधिकारी कपकोट, उप निदेशक खनन, तहसीलदार कपकोट तथा सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प0सं0 एवं प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी उपस्थित थे।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम सहा0 पर्या0 अभियन्ता, श्री नरेश गोस्वामी द्वारा लोक सुनवाई में आये हुए महानुभावों का स्वागत किया गया। इसी क्रम में उनके द्वारा उपस्थित जन सामान्य से अनुरोध किया गया कि परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण के प्रस्तुतीकरण के पश्चात् वे परियोजना के सम्बन्ध में अपनी आपत्तियॉ सुझाव, टीका टिप्पणी आदि मौखिक अथवा लिखित रूप में दें तॉकि उनको सुनवाई के कार्यवृत्त में शामिल किया जा सकें एवं उनकी आपत्ति/सुझाव को सक्षम स्तर तक पहुँचाया जा सकें। इसके पश्चात् परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार संस्था मैसर्स एनवायरो इन्फ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के श्री विजय शर्मा द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जन सामान्य को प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा लोकहित के उद्देश्य से परियोजना की भविष्य की योजना से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने सुझाव एवं विचार रखे गयेः–

1. <u>श्री हरीश सिंह कोरंगा, ग्राम–गुलमपरगढ़ ।</u>

श्री कोरंगा द्वारा अवगत कराया गया कि गुलमपरगढ़ में पानी का एक ही श्रोत है तथा खनन कार्य से इसके प्रभावित होने की आशंका है। इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किये गये जायेंगे। उनके द्वारा यह भी विषय रखा गया कि वर्तमान माईनिंग द्वारा आज तक गॉव के लिए कुछ नहीं किया गया है। उनके द्वारा ग्राम–गुलमपरगढ़ से इस सुनवाई में कम लोग उपस्थित होने का विषय भी रखा गया।

इस पर प्रस्तावित माईनिंग के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त जल श्रोत को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा एवं नुकसान की आशॅका होने पर रिटेनिंग वाल आदि से उसकी सुरक्षा की जायेगी। सहायक पर्यावरण अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सुनवाई की जनसूचना एक माह पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दी गई थी एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा भी यह सूचना करा दी गई थी। श्री गोविन्द सिंह पपोला द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित माईनिंग स्थल में रहने वाले तथा जिनके खेत वहा है और जो कही और निवास करते है, वे भी इस जनसुनवाई में उपस्थित हैं।

Scanned by CamScanner

2. श्री बिशन सिंह पपोला, ग्राम–गुलमपरगढ़।

श्री पपोला द्वारा प्रस्तावित माईनिंग का स्वागत किया गया एवं रोजगार, जल आदि की व्यवस्था सम्बन्धी विषय उठाये गये एवं अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनो द्वारा सड़को के रखरखाव आदि ठीक से नहीं किया गया है।

3. श्री कविन्द्र सिंह पपोला, परगढ़ आगर।

श्री पपोला द्वारा कहा गया कि जिस स्थान से सोप स्टोन का दोहन होना है वहा से कम लोग उपस्थित है। उनके द्वारा कहा गया कि हम सब की जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति है। वर्तमान में चल रही माईनो का कोई अनुश्रवण नहीं किया गया है। प्रस्तावित माईनिंग से प्रभावित होने वाली गाँव की कृषि भूमि तथा पर्यावरण आदि की जिम्मेदारी किसकी होगी। उनके द्वारा वर्तमान माईनो से जल श्रोत तथा सड़के प्रभावित होने का भी आरोप लगाया गया। उनके द्वारा जन भावनाओं के बिना माईनिंग स्वीकृत नहीं किये जाने की भी माँग रखी गयी। उनके द्वारा लोक सुनवाई के स्थल चयन तथा प्रभावित क्षेत्र से कम लोगो के उपस्थित होने का भी विषय रखा गया। उनके द्वारा पट्टा मालिक से मतभेद से बढ़कर मनभेद होना भी स्वीकार किया गया एवं वर्तमान में चल रही माईन के विषय में पूर्व में किये गये कार्यो का विवरण, माईन मालिक से मांगा गया।

इस पर पर्यावरणीय सलाहकार श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार का पर्यावरण का नुकसान नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तावित माईन की स्वीकृति शर्तो में इन विषयों को रखे जाने की बात की गयी।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पूर्व माईनों के अनुभव इस प्रस्तावित माईन की लोक सुनवाई में रखे जाने का स्वागत किया गया एवं विश्वास दिलाया गया कि सुनवाई में कही हुई बातों को सक्षम स्तर तक पहुंचाया जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व माईनों के अनुभव के आधार पर अपनी बात रखा जाना उचित है किन्तु यह जन सुनवाई प्रस्तावित माइनिंग हेतु की जा रही है। उनके द्वारा कहा गया कि यदि वर्तमान संचालित अन्य किसी माईन के सन्दर्भ में कोई शिकायत किया जाना हो तो पृथक से लिखित शिकायत उपलब्ध की जाय, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. बिशन सिंह पपोला, ग्राम–गुलमपरगढ़।

उनके द्वारा पूर्व माईनों के आवन्टित धनराशि का क्षेत्र में नहीं लगाये जाने का भी विषय रखा गया।

5. श्री नरेन्द्र गिरि, ग्राम–गुलमपरगढ़।

इनके द्वारा माँग की गई कि प्रस्तावित माईनिंग से जल प्रदूषण न हो तथा स्वच्छ पेय जल उपलब्ध हो।

इस पर परियोजना सलाहकार श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार से वर्तमान पेय जल श्रोत को विचलित नहीं किया जायेगा।

6. श्री भगत सिंह, ग्राम–गुलमपरगढ़।

इनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित माईन के नीचे मेरा घर है तथा माईनिंग के समय मेरा घर शिफ्ट किया जाये।

इस पर श्री दीपक पपोला द्वारा आश्वासन दिया गया कि यदि मेरी माईनिंग से उनके घर को कोई प्रभाव पड़ेगा तो उसे शिफ्ट किया जायेगा।

7. श्री इन्दर सिंह पैठानी, ग्राम–गुलमपरगढ़।

इनके द्वारा प्रस्तावित माईनिंग से धूल, ध्वनि प्रदूषण तथा श्रमिकों के लड़ाई झगड़े आदि पर नियंत्रण रखे जाने की माँग की गयी।

इस पर परियोजना सलाहकार श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि धूल आदि के नियंत्रण हेतु पूर्ण उपाय किये जायेंगे एवं श्रमिकों के रहने हेतु पक्के टिनशेडों से आवासों का निर्माण किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

2. **श्री विशन सिंह पपोला, ग्राम–गुलमपरगढ़।**

श्री पपोला द्वारा प्रस्तावित माईनिंग का स्वागत किया गया एवं रोजगार, जल आदि की व्यवस्था सम्बन्धी विषय उठाये गये एवं अवगत कराया गया कि वर्तमान माईनो द्वारा सड़को के रखरखाव आदि ठीक से नहीं किया गया है।

3. **श्री कविन्द्र सिंह पपोला, परगढ़ आगर।**

श्री पपोला द्वारा कहा गया कि जिस स्थान से सोप स्टोन का दोहन होना है वहा से कम लोग उपस्थित है। उनके द्वारा कहा गया कि हम सब की जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति है। वर्तमान में चल रही माईनो का कोई अनुश्रवण नहीं किया गया है। प्रस्तावित माईनिग से प्रभावित होने वाली गॉव की कृषि भूमि तथा पर्यावरण आदि की जिम्मेदारी किसकी होगी। उनके द्वारा वर्तमान माईनो से जल श्रोत तथा सड़के प्रभावित होने का भी आरोप लगाया गया। उनके द्वारा जन भावनाओं के बिना माईनिंग स्वीकृत नहीं किये जाने की भी मॉग रखी गयी। उनके द्वारा लोक सुनवाई के स्थल चयन तथा प्रभावित क्षेत्र से कम लोगो के उपस्थित होने का भी विषय रखा गया। उनके द्वारा पट्टा मालिक से मतभेद से बढ़कर मनभेद होना भी स्वीकार किया गया एवं वर्तमान में चल रही माईन के विषय में पूर्व में किये गये कार्यो का विवरण, माईन मालिक से मांगा गया।

इस पर पर्यावरणीय सलाहकार श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार का पर्यावरण का नुकसान नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तावित माईन की स्वीकृति शर्तो में इन विषयों को रखे जाने की बात की गयी।

अपर जिलाधिकारी द्वारा पूर्व माईनों के अनुभव इस प्रस्तावित माईन की लोक सुनवाई में रखे जाने का स्वागत किया गया एवं विश्वास दिलाया गया कि सुनवाई में कही हुई बातों को सक्षम स्तर तक पहुचाया जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि पूर्व माईनों के अनुभव के आधार पर अपनी बात रखा जाना उचित है किन्तु यह जन सुनवाई प्रस्तावित माइनिंग हेतु की जा रही है। उनके द्वारा कहा गया कि यदि वर्तमान संचालित अन्य किसी माईन के सन्दर्भ में कोई शिकायत किया जाना हो तो पृथक से लिखित शिकायत उपलब्ध की जाय, जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

4. विशन सिंह पपोला, ग्राम–गुलमपरगढ़।

उनके द्वारा पूर्व माईनों के आवन्टित धनराशि का क्षेत्र में नहीं लगाये जाने का भी विषय रखा गया।

5. श्री नरेन्द्र गिरि, ग्राम–गुलमपरगढ़।

इनके द्वारा मॉग की गई कि प्रस्तावित माईनिंग से जल प्रदूषण न हो तथा स्वच्छ पेय जल उपलब्ध हो।

इस पर परियोजना सलाहकार श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार से वर्तमान पेय जल श्रोत को विचलित नहीं किया जायेगा।

6. श्री भगत सिंह, ग्राम–गुलमपरगढ़।

इनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित माईन के नीचे मेरा घर है तथा माईनिंग के समय मेरा घर शिफ्ट किया जाये।

इस पर श्री दीपक पपोला द्वारा आश्वासन दिया गया कि यदि मेरी माईनिंग से उनके घर को कोई प्रभाव पड़ेगा तो उसे शिफ्ट किया जायेगा।

7. **श्री इन्दर सिंह ऐठानी, ग्राम–गुलमपरगढ़।**

इनके द्वारा प्रस्तावित माईनिंग से धूल, ध्वनि प्रदूंषण तथा श्रमिकों के लड़ाई झगड़े आदि पर नियंत्रण रखे जाने की मॉग की गयी।

इस पर परियोजना सलाहकार श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि धूल आदि के नियंत्रण हेतु पूर्ण उपाय किये जायेंगे एवं श्रमिको के रहने हेतु पक्के टिनसेडों से आवासों का निर्माण किया जायेगा।

Scanned by CamScanner

8. श्री गोविन्द सिंह पपोला, ग्राम–पपोली, बागेश्वर।

इनके द्वारा परियोजना सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण में आर. एण्ड आर. का तात्पर्यपूछा गया।

जिसे परियोजना सलाहकार श्री शर्मा द्वारा रीहैबीटेशन के सन्दर्भ में उक्त का स्पष्टीकरण दिया गया।

9. श्री कविन्द्र सिंह पपोला, ग्राम–परगढ़ आगर।

इनके द्वारा कहा गया कि हस्ताक्षर कराये जाने वाले रजिस्टर में हस्ताक्षर से यह प्रतीत होता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति माईनिंग के पक्ष में है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस पर उन्हें अवगत कराया गया कि यह हस्ताक्षर केवल उपस्थिति से सम्बन्धित है यह किसी प्रकार माईनिंग के पक्ष या विपक्ष से सम्बन्धित नही है।

10. श्री सुनील कुमार, अभियन्ता, जिला पंचायत, बागेश्वर।

इनके द्वारा मॉग की गई थी यदि प्रस्तावित माईनिंग के अन्तर्गत जिला पंचायत के कोई किये गये विकास कार्य आये तो उनका संरक्षण किया जाये।

इस पर परियोजना सलाहकार श्री शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित माईनिंग से इस प्रकार के निर्माणों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जायेगा।

11. श्री गोविन्द सिंह पपोला, ग्राम–पपोली।

इनके द्वारा प्रदेश के एवं राष्ट्र के विकास हेतु प्राकृतिक संशाधनों के दोहन को उचित ठहराया तथा प्रस्तावित माईनिंग के वैज्ञानिक ढंग से दोहन किये जाने की मॉग रखी गयी।

इसके पश्चात् माईनिंग प्रस्तावक श्री माधो सिंह पपोला द्वारा उपस्थित जन समूह को यह विश्वास दिलाया गया कि उनके द्वारा प्रस्तावित किये गये सभी कार्य कराये जायेंगे एवं अधिकाधिक जन सहयोग से माईन का संचालन किया जायेगा।

अन्त में अपर जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अन्य कोई सुझाव टीका टिप्पणी आदि से लोक सुनवाई पैनल को दिये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा आशा व्यक्त की गई कि भविष्य में माईनिंग प्रस्तावक तथा स्थानीय निवासियों को पारस्परिक सहायोग से माईनिंग कार्य किया जायेगा। उनके द्वारा खेत मालिको से लिखित एग्रीमेन्ट के पश्चात ही खनन कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया, जिससे भविष्य में प्रशासन, खेत मालिक तथा प्रस्तावक के मध्य स्पष्टता रहे। उनके द्वारा सी.एस.आर. पर खर्च किये जाने वाली धनराशि को स्थानीय लोगो की प्राथमिकता के आधार पर खर्च किये जाने का अनुरोध किया गया। अन्य कोई सुझाव, टिका टिप्पणी आदि प्राप्त न होने पर लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जनसुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जनसमुदाय की उपस्थिति उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(नरेश गोस्वामी)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प0सं0 एवं प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी

(आर0के0 गोयल)
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर
अपर जिला अधिकारी
बागेश्वर

Scanned by CamScanner

मै० मानोसिंह पपोला, ग्राम - पपोली, पो० ऑ० - कापकोट तहसील - दुगनाकुरी जिला - बागेश्वर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई की उपस्थिति।

स्थल : - निकट होटल सरयू, कपकोट
दिनांक : 22/8/2019.

क्रम सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
(1)	राधिका कुमार ? ADM.	Collectorate, Bageshwar	[signature]
(2)	प्रमोद कुमार, SDM.	SDM Kapkot	[signature]
	विनोद प्रकाश वर्मा, तहसीलदार	कपकोट	[signature]
(3)	लेख राज, उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक, बागेश्वर	जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर	[signature]
(4)	नरेश गोस्वामी, अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० [illegible] बोर्ड, ह०नी		[signature]
(5)	SUNIL KUMAR	अभियन्ता, जिला [illegible] बागेश्वर	[signature]
(6)	[illegible]	[illegible]	[signature]
(7)	[illegible]	Villg. Patoli, Dis. Bageshwar	[signature]
(8)	[illegible] पपोला	ग्राम पपोली पो० [illegible]	
(9)	इन्द्र सिंह [illegible]	ग्रा० - [illegible] पो० कापकोट	[signature]
(10)	[signature]	पपोली	[signature]

Scanned by CamScanner

मै० मानसिंह पपोला, ग्राम - पपोली, पो० ऑ० - कापड़ी तहसील - दुगनाकुरी जिला - बागेश्वर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई की उपस्थिति।

स्थल :- निकट होटल सरयू कपकोट
दिनांक : 22/8/2019

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	राहुल कुमार गोयल ADM.	Collectorate, Bageshwar	[signature]
2	प्रमोद कुमार, SDM.	SDM Kapkot	[signature]
	विनोद प्रकाश वर्मा तहसीलदार कपकोट		[signature]
3	लेख राज, उपनिदेशक / भूवैज्ञानिक, बागेश्वर	जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर	[signature]
4	नरेश गोस्वामी सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ०प० सं० एवं प्र० नि० बोर्ड ह० डानी		[signature]
5	SUNIL KUMAR	अभियन्ता जिला पंचायत बागेश्वर	[signature]
(6)	हरिकिशोर सिंह [illegible]	खनिज मोहर्रिर जिला [illegible]	[signature]
7	Mr. Kiral Pawar	Vill. Pawari Dit. Bageshwar	[signature]
8	कुलदीप पपोला	ग्राम पपोली पो० कापड़ी	
9	इन्द्र सिंह सेनानी	ग्रा०- मुड़ै पो० कापकोट	[signature]
10	[signature]	पपोली	[signature]

Scanned by CamScanner

क्रम स	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	Mehoram Singh	Palling	[signature]
2	PARVIN SINGH	[illegible]	[signature]
13	दुर्गासिंह	पपोली	दुर्गासिंह
14	भूपालसिंह	पपोली	[signature]
15	दिवान सिंह	पपोली	[signature]
16	मेहरबानसिंह	पपोली	[signature]
17	मोहकसिंह	पपोली	[signature]
	प्रियंका	पपोली	[signature]
18	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	[signature]
19	आइसों सिंह पपोला	पपोली	[signature]
20	मुकुल सिंह पपोला	पपोली	[signature]
21	गोविन्दसिंह [illegible]	पपोली	[signature]
22	ओंकार सिंह [illegible]	पपोली	[signature]
23	सुरेन्द्र सिंह	पपोली	[signature]
24	भगवत सिंह पपोला	पपोली	[signature]

Scanned by CamScanner

	नाम	पता	हस्ताक्षर
25	गोविन्दसिंह	पपोली	[illegible]
26	कुन्दनसिंह	पपोली	[illegible]
27	[illegible]	पपोली	[illegible]
28	भगवानसिंह	परगाड़	[illegible]
29	दीवानसिंह	पपोली	[illegible]
30	गोपालसिंह	गुलम परगढ़	[illegible]
31	प्रताप सिंह कुतलिया	गुलम परगाढ़	[illegible]
33	ईश्वरराम रैठाणा	ग्राम रैठाणा	ईश्वर
33	जगतसिंह पपोला	गुलम परगाड़	जगत
34	नारायण सिंह पपोला	परगाड़ आगर	[illegible]
35	पुष्कर सिंह कोरंगा	डोलाढूंगा	पुष्कर
36	~~महेश सिंह~~	कफलखेत	[illegible]
37	हीरा सिंह	पोखरी	[illegible]
38	प्रकाश पपोला	डोबल	[illegible]

	नाम	पता	हस्ताक्षर
३९	Narendra Giri	Gudem	[signature]
५०	Harish Rathor	"	[signature]
५१	इन्द्रसिंह	पपोली	[signature]
५२	शेखर सिंह पपोला	पपोली	[signature]
५३	कुलदीप सिंह पपोला	पपोली	Kuldeep
५४	संजय सिंह पपोला	पपोली	[signature]
५५	हिमांशु सिंह पपोला	पपोली	[signature]
५६	भारती	भैंगार	भारती
५७	दरपान सिंह पपोला	पपोली	[signature]
५८	किशननाथ गोस्वामी R.S.I नाग्री		[signature]
५९	धीरेन्द्र सिंह	गुदेम	[signature]
50	इन्द्रसिंह बघरी	बघार	[signature]
51	महेन्द्रसिंह बघरी	बघार	[signature]
52	उदयवीरसिंह	कपकोट	[signature]

	नाम	पता	हस्ताक्षर
53)	Aniruddh Pahi	Bageshwar	[signature]
54)	Rishabh Sehgal	Env. Consultant	[signature]
55)	Vijay Sharma	Env. Consultant	[signature]
56)			

Scanned by CamScanner